

Act No. 25 of 2013

2013 का विधेयक संख्यांक 6

चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013

(विधान सभा द्वारा यथा संशोधित पारित)

चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. धारा 41 का संशोधन।

चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013

(विधान सभा द्वारा यथा संशोधित पारित)

चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना संक्षिप्त नाम और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2013 है । और प्रारम्भ ।

(2) यह 29 अप्रैल, 2008 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2009 का 2 2. चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 की धारा 41 का धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में "पच्चीस वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पचास संशोधन । वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

यह विधेयक विधान सभा द्वारा पारित किया गया है।

श्रीमति शिमला

अध्यक्ष।

अध्यक्ष

हिमाचल प्रदेश

विधान सभा, शिमला

शिमला—171004.

दिनांक : २७-४-2013

मैं इस विधेयक पर अनुमति देती हूँ

उमा चंद्र

राजदूत
राज्यपाल
हिमाचल प्रदेश

शिमला—171002.

दिनांक २८-४-2013

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 6 OF 2013

**THE CHITKARA UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND
REGULATION) AMENDMENT BILL, 2013**

(PASSED AS AMENDED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

**THE CHITKARA UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)
AMENDMENT BILL, 2013**

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title and commencement.
2. Amendment of section 41.

**THE CHITKARA UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND
REGULATION) AMENDMENT BILL, 2013**

(PASSED AS AMENDED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Chitkara University (Establishment and Regulation) Act, 2008 (Act No. 2 of 2009).

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Chitkara University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2013. Short title and commencement.
- (2) It shall be deemed to have come into force on 29th day of April, 2008.
2. In section 41 of the Chitkara University (Establishment and Regulation) Act, 2008, in sub-section (2), in the proviso, for the words “twenty five years”, the words “fifty years” shall be substituted. Amendment of section 41.

में, "चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 6)" के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत करती हूँ।

डॉ. गोपाल
राज्यपाल
हिमाचल प्रदेश द्वेष

राज्यपाल ने "चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 6)" के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

चिराग मानौर
सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार।